

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी (विपक्षीय गढ)

अज्ञ अपीलकर्ता

श्री शाहू माल

बनाम

इकति गीना वर्मा

फिस मुकदमा

128 R.T.A

नं.

1/18

सन्

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
-------------------	--	---

10.4.18

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा श्रीसाठा

ग्राम श्रीसाठा (ब.स.ब.ल.) की
आ.न. 223, 227, 256/679, 264/681, 335/670 की
विभिन्न आराजीयात को पत्थरगढी विपक्षीयणा 338/667, 340/672, 454, 461, 484, 482, 492, 493
की मौजुदगी में की जावे।
= 2.94 हे.

प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रूपये 2500/-
ससूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें।
पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।



उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी